

पत्र संख्या : 7ब/4702 योज०सं०-12/14 38

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 29-5-14

विषय :- माँग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परियोजना, लघु शीर्ष-101-सतही जल, उप शीर्ष-18-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड-50P470200101180545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-2015 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2014-2015 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परियोजना के अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट-1 में अंकित उप शीर्ष, विस्तृत शीर्ष एवं विपत्र कोड में दर्शाये गये कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1	50-लघु सिंचाई विभाग/ 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परियोजना	101-सतही जल/ 18- लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	05-निर्माण, 45-मुख्य निर्माण कार्य 50P470200101180545	300.00
आवंटित राशि - ₹ तीन करोड़ मात्र।				

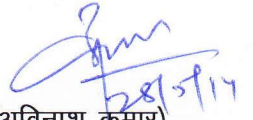
- आवंटित राशि वर्ष 2014-2015 के उपबंध रु. 400.00 लाख (चार करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत एवं परिशिष्ट 1 पर वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
- राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)(शिवानन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि.)

9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 फरवरी 2015 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :-

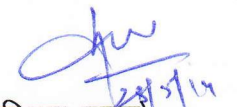
38

राँची, दिनांक :-

29-5-14

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड; पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/गिरिडीह/गढ़वा/हजारीबाग/मेदिनीनगर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :-

38

राँची, दिनांक :-

29-5-14

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I एवं II जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन घोरसिया)
उप सचिव (अभि.)


(शिवानन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(अविनाश कुमार)
सचिव

मौग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग

मुख्य शीर्ष - 4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

लघु शीर्ष -101-सतही जल,

उपशीर्ष - 18- लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य

विपत्र कोड-50P470200101180545

उपबंध (वर्ष 2014-15) रु. 400.00 लाख (चार करोड़) मात्र।

(राशि - लाख ₹ में)

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		मार्च 2014 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2014-15 में निर्गत आवंटन				अभ्युक्ति
					प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि	On-line Allotment Access No.	
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, गिरिडीह (GRDMIR001)	गिरिडीह	जमुआ	मुण्डाटांड नाला पर चेकडैम निर्माण	04/18.05.12	31.540	16.965					
			जमुआ	कटरियाटांड नाला पर चेकडैम निर्माण		32.200	13.854					
			जमुआ	सिमरसोती नाला पर चेकडैम निर्माण		32.170	14.998					
			बिरनी	नारंगो नाला पर चेकडैम निर्माण		33.230	13.090					
			बिरनी	गुरहा नाला पर चेकडैम निर्माण		35.110	10.948					
			बिरनी	धरमपुर नाला पर चेकडैम निर्माण		29.920	18.876					
			देवरी	गादीदीधी नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम का निर्माण		95.240	42.780					
			देवरी	फरघवा नाला पर चेकडैम का निर्माण	24/12-13 दि-25.10.12	36.750	3.418					
			जमुआ	कजरी नाला पर चेकडैम निर्माण		26.700	5.700					
			जमुआ	जरीडीह नाला पर चेकडैम निर्माण		26.620	6.675					
			देवरी	करमानाला पर चेकडैम निर्माण		39.680	0.00					
			तिसरी	खरहाटांड नाला पर चेकडैम निर्माण	18/16.09.11	25.175						
			तिसरी	बेहसतरी नाला पर चेकडैम निर्माण		21.349						
			देवरी	टिहरो नाला पर चेकडैम निर्माण		23.522						
			देवरी	मनकाडीहा नाला पर चेकडैम निर्माण		21.65						
			गाण्डेय	सिमराढाव नाला पर चेकडैम निर्माण		28.208						
			जमुआ	चौडी नाला पर चेकडैम निर्माण		26.946						
			बगोदर	दोन्दलो नाला पर चेकडैम निर्माण		27.713						
			गिरिडीह	नावाडीह नाला पर चेकडैम निर्माण		31.565						
			गिरिडीह	सुन्दरटांड नाला पर चेकडैम निर्माण		33.014						
			बेगाबाद	चौरा नाला पर चेकडैम निर्माण		23.562						
			बिरनी	नावाडीह नाला पर चेकडैम निर्माण		31.933						
			गौवा	भूआलमारन नाला पर चेकडैम निर्माण		23.889						
			तिसरी	मझली नदी पर चेकडैम निर्माण		30.545						
			बेगाबाद	खुदिया नाला पर चेकडैम निर्माण		26.755						
			डुमरी	मटयोवेडा नाला पर चेकडैम निर्माण		30.813						
			बगोदर	काशीटांड नाला पर चेकडैम निर्माण		23.18						
			पीरटांड	कुलवन्ती नाला पर चेकडैम निर्माण		26.4						
			सरिया	चिरुवों नाला पर चेकडैम निर्माण		25.487						
				योग				0.00	200.00	200.00	27631	
2	लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा (GRHMIR001)	गढ़वा	मझिआँव	खजुरी मध्यम सिंचाई योजना का निर्माण	06/07.06.12	958.835	791.14	0.00	30.00	30.00	27639	
				योग				0.00	30.00	30.00		
3	लघु सिंचाई प्रमंडल, हजारीबाग (HZBMIR001)	हजारीबाग	बरही	कोनिया नदी पर उदवह सिंचाई योजना का निर्माण	30/27.12.12	27.340	15.351	0.00	10.00	10.00	27646	
				योग				0.00	10.00	10.00		
4	लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद (PLMMIR044)	पलामू	पाण्डू	संगमानाला मध्यम सिंचाई योजना का निर्माण	18/22.02.10	414.870	5.223	0.00	40.00	40.00	27656	
		पलामू	मोहम्मदगज	काशीसोत मध्यम सिंचाई योजना का निर्माण	25/01.11.12	666.000	526.60	0.00	20.00	20.00		
				योग				0.00	60.00	60.00		
				कुल योग				0.00	300.00	300.00		

आवंटित राशि - ₹ तीन करोड़ मात्र।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)(शिवानन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि.)(अविनाश कुमार)
सचिव